(2020) 1 एस.सी.आर.–120

धनसाई साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

(सिविल अपील सं०–564/2020) जनवरी 21, 2020

(ए०एम 0 खानविलकर एवं दिनेश माहेश्वारी, जे०जे०)

उपहार भुगतान अधिनियम, 1972–एस. 2 (ई)–मुद्दा यह है कि क्या नियमित होने और नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने से पहले दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा को गिना जा सकता है, ताकि इसके प्रावधानों को लागू किया जा सके। राज्य सरकार के रूप में सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति की आयु के बाद 1972 अधिनियम, कर्मचारी उच्च न्यायालय ने माना कि 1972 अधिनियम के प्रावधान राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं और किसी भी अन्य अधिनियम और विशेष रूप से 1976 के नियमों द्वारा शासित होता है– अपीलकर्ता ने नेतराम साहू मामले में अपीलकर्ता के समान तर्क से निपटने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर भरोसा किया। माना गया 1972 अधिनियम की धारा 2 (ई) यह प्रावधान करती है यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के अधीन कोई पद रखता है, या एक राज्य सरकार और किसी अन्य अधिनियम या उपहार के भुगतान को प्रदान करने वाले किसी नियम द्वारा शासित होता है तो 1972 अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगें– प्रतिवादी 01.09.08 को नियमित होने के बाद अपीलकर्ता द्वारा धारित पद पर लागू 1976 नियमों के प्रावधानों पर भरोसा कर रहे हैं। इन नियमों को प्रस्तुत मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। नेतराम साहू का कौन सा निर्णय तेजा सिंह (सी.ए.एन.ओ. 292/09) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के अप्रमाणित निर्णय दिनांक 16.01.09

के विरोध में है–सामान्य तौर पर, मामले को निर्माण पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, नियमों पर भरोसा किया गया है, लेकिन तेजा सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ द्वारा की गई व्याख्या पर भी ध्यान देना होगा, इसलिए न्यायिक औचित्य का पालन करते हुए, इस मुद्दे को तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए रजिस्ट्री, एक बड़ी पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष फाइल रखने के लिए भेजा गया है। सेवा कानून–छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976–आरआर। 3(आई), 5, 13, 16, 43 (1), 44 (1) और (2)–न्यायिक अनुशासन।

120 धनसाई साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

न्यायालय ने इस मुद्दे पर तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किये जाने का उल्लेख किया है।

आयोजितः 1.1 उल्लेखनीय रूप से, नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य में। सर्वोच्च न्यायालय ने नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार किया था। जो बदले में भारत संचार निगम लिमिटेड, जम्मू बनाम तेजा सिंह (असूचित निर्णय) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या और सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य की व्याख्या में अंतर्निहित सिद्धांत पर निर्भर था। कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य। हालाँकि, नेतराम साहू मामले में इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे का जवाब देते समय उपरोक्त किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया था। तेजा सिंह के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ ने राय दी कि एक दैनिक–मूल्यॉकित मजदूर, जिसे नियमित किया गया है, लेकिन उसके पास सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ाने के लिए सेवा नियमों के संदर्भ में योग्यता सेवा नहीं है, वह हकदार नहीं होगा। 1972 अधिनियम के तहत उपहार के भुगतान के लिए नेतराम साहू मामले में बाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के असूचित फैसले में बताए गए सिद्धांत के विपरीत है। उपहार भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ई) बिना किसी अनिश्चित शर्तों के यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद रखता है और किसी अन्य अधिनियम या उपहार के भुगतान के लिए प्रदान करने वाले किसी नियम

द्वारा शासित होता है, 1972 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उत्तरदाता 1.9.2008 को नियमित होने के बाद अपीलकर्ता द्वारा धारित पद पर लागू 1976 नियमों के प्रावधानों पर भरोसा कर रहे हैं। नेतराम साहू के मामले में इन नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। आमतौर पर, न्यायालय विश्वसनीय नियमों के निर्माण पर मामले का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ता होगा, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तेजा सिंह के असूचित निर्णय में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ द्वारा व्याख्या को भी लिया जाना होगा। ध्यान दें और न्यायिक औचित्य का पालन करने के लिए, विचाराधीन मुद्दे को तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए संदर्भित करना उचित समझा जाएगा। {पैरा 4-7} {123-सी-जीः, 124-ए-डीः, एफ-जी}

नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य (2018) 5 एस०सी०सी० 430 (2018) 3 एससीआर 682ः, नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य (2014) एससीसी ऑनलाईन छः 159.

भारत संचार निगम लिमिटेड जम्मू बनाम तेजा सिंह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट {2020} 1 एस.सी.आर.

सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकारः-सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनॉकित 16-1-2009, सिविल अपील सं०-292/2009, सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमादेवी (3) व अन्य (2006) 4 एससीसी 1ः (2006)।

3 एससीआर 953ः सहायक कार्यकारी अभियन्ता सीएनएनएल बनाम उप श्रम आयुक्त और अपीलीय प्राधिकरण।

बैंगलौर व अन्य, निर्णय दिनांॅकित 04-9-12 में उच्च न्यायालय कर्नाटक व बैंगलौर में रिट पिटीशन सं0-15856/2012 में निर्दिष्ट किया गया।

केस कानून सन्दर्भ (2018) 3 एससीआर 682 संदर्भित पैरा-4 (2006) 3 एससीआर 953 संदर्भित पैरा-4.

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील संख्या 564/2020.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा विलासपुर में दाखिल रिट अपील सं0–283/2016 में पारित निर्णय व आदेश दिनॉक 19–09–2018.

जे0 पी0 मिश्रा, शंकर डिवेट, सलाहकार. अपीलार्थी के लिए।

सुमीर सोधी, सुश्री सिमरन अग्रवाल, आशीष तिवारी, सलाहकार उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था।

आदेश

1. छुट्टी की अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में विवादास्पद सवाल यह है कि क्या नियमित किए जाने और नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने से पहले दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा को गिना जा सकता है, ताकि उपहार भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को लागू किया जा सके। (संक्षेप में, ''1972 अधिनियम'') राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति की आयु के बाद?

3. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (संक्षेप में,''उच्च न्यायालय'') ने 1972 अधिनियम की धारा 2 (ई) में ''कर्मचारी'' की परिभाषा पर भरोसा करते हुए यह विचार किया है कि 1972 अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और किसी अन्य अधिनियम और विशेष रूप से, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (निवृत्ति वेतन) नियम, 1976 (संक्षेप में,''1976 नियम'') द्वारा शासित होता है। धनसाई साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

4. हालाँकि, अपीलकर्ता नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर भरोसा करेगा, जिसमें अपीलकर्ता के समान तर्क से निपटना होगा, जिसे दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और 22 साल तक काम करने के बाद वर्ष, कार्य प्रभार स्थापना पर नियमित किया गया, लेकिन उपहार से इनकार कर दिया गया, क्योंकि जिस दिन वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहा था, वह राज्य

सरकार के अधीन पद संभाल रहा था। वास्तव में, न्यायालय को इस मुद्दे पर समान रूप से जवाब देने के लिए बुलाया गया था। ''स्थिति'', लेकिन रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 14 में दिये गये टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि 1972 अधिनियम या 1976 के नियमों का कोई भी प्रावधान न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था, जो अपीलकर्ता को उपहार का दावा करने या उसके लिए अयोग्य ठहराएगा। मामला में कोई प्रावधान जो अपीलकर्ता को उसकी 22 साल की लंबी और निरंतर सेवा अवधि का लाभ लेने से रोकता है जो उसने नियमित होने से पहले प्रदान की थी। विशेष रूप से, इस न्यायालय ने नेतराम साहू के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार किया था। ''नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य'' जिसने बदले में भारत संचार निगम लिमिटेड, जम्मू बनाम तेजा सिंह' (असूचित निर्णय) के मामले में इस न्यायालय की व्याख्या और सचिव की व्याख्या के अंतर्निहित सिद्धांत पर भरोसा किया था। कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य, हालाँकि, नेतराम साहू (सुप्रा/एफ.एन. 1) के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे का उत्तर देते समय उपरोक्त किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. तेजा सिंह (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ ने एक ऐसे व्यक्ति के दावे पर विचार किया जो केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले निगम में दैनिक मूल्यॉकित मजदूर के रूप में कर्मचारी था। उन्हें वर्ष 1973 में भर्ती किया गया था और 11.8.1986 से नियमित किया गया और अंततः 30.8.1989 को सेवानिवृत्त हुए। यह न्यायालय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दी गई उपहार की राहत को रद्द करके प्रसन्न था। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने राय दी कि एक दैनिक–मूल्यॉकित मजदूर जिसे नियमित किया गया है, लेकिन उसके पास सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए सेवा नियमों के संदर्भ में अर्हता प्राप्त सेवा नहीं है, वह उपहार के भुगतान का हकदार नहीं होगा। 1972 अधिनियम. दूसरे शब्दों में, नेतराम साहू (सुप्रा/एफ.एन. 1) में बाद का निर्णय इस न्यायालय के असूचित निर्णय में बताए गए उक्त सिद्धांत के विपरीत है।

(2018) 5 एससीसी 430 (दो न्यायाधीशों की पीठ)

रिट अपील संख्या 240/2014 (2014 एससीसी ऑनलाइन छः 159) 3 में 1.8.2014 को निर्णय लिया गया व सिविल अपील संख्या 292/2009 (दो–न्यायाधीश पीठ) में 16.1.2009 को निर्णय लिया गया।

4 (2006) 4 एससीसी 1

उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट (2020) 1 एस०सी०आर०

6. 1972 अधिनियम की धारा 2 (ई) पर वापस लौटते हुए, बिना किसी अनिश्चित शर्तों के यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद रखता है और किसी अन्य अधिनियम या भुगतान के लिए प्रदान करने वाले किसी भी नियम द्वारा शासित होता है, उसपर उपहार 1972 अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उत्तरदाता 1.9.2008 को नियमित होने के बाद अपीलकर्ता द्वारा धारित पद पर लागू 1976 के नियमों के प्रावधानों पर भरोसा कर रहे हैं। उक्त नियम निवृत्ति वेतन और उपहार प्रदान करने का प्रावधान करते हैं। नियम 43 के उप–नियम (1) के तहत देय ''सेवा उपहार'' को शामिल करने के लिए ''उपहार'' के नियम 3(।) में परिभाषित किया गया है नियम 44 के उप–नियम (1) के तहत देय ''मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपहार'' और बताए गए नियमों (1976 नियम) के नियम 44 के उप–नियम (2) के तहत देय ''अवशिष्ट उपहार''। नियम 5 निवृत्ति वेतन उपहार या पारिवारिक निवृत्ति वेतन के दावों के नियमों से संबंधित है। नियम 13 बताता है कि एक सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक योग्य नहीं होगी जब तक कि उसके कर्तव्यों और वेतन को सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत विनियमित नहीं किया जाता है और नियम 16 में गिनती की परिकल्पना की गई है, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबंध पर सेवा की हो। जाहिर है, नेतराम साहू (सुप्रा/एफ.एन. 1) के मामले में इन नियमों को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। हम सहायक कार्यकारी अभियंता सीएनएनएल बनाम उप श्रम आयुक्त और अपीलीय प्राधिकरण, बैंगलोर व अन्य के मामले में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भी गौर कर सकते हैं, जिसने यह विचार किया है कि जहां उपहार के भुगतान का प्रावधान है किसी पद पर आसीन व्यक्ति पर लागू होने वाले सेवा नियमों में बनाया गया है, उपहार के लिए उसका दावा ऐसे नियमों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, न कि 1972 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके।

7. आम तौर पर, हम भरोसेमंद नियमों के निर्माण पर मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तेजा सिंह (सुप्रा) के अप्रमाणित फैसले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ द्वारा व्याख्या भी करनी होगी। इस पर ध्यान दिया जाए और न्यायिक औचित्य का पालन करने के लिए, हम विचाराधीन मुद्दे को तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए संदर्भित करना उचित समझते हैं। तदनुसार, रजिस्ट्री को एक बड़ी पीठ के गठन के लिए वर्तमान मामले की फाइल के साथ, माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है। दिव्या पाण्डेय मामला को बड़ी बेंच को भेजा गया। रिट पिटीशन सं०–15856/2012 में और संबंधित कुल 5 मामलों में दिनांक–04.09.2012 को निर्णय लिया गया।

अनुवाद किया गया। (अनुवादकर्ता) (चन्द्रमणि)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या–2,

जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर।